

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/एसीटीएडी/माडा बजट /अजमेर/19-20/

दिनांक :

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)
अजमेर।

विषय : हैण्डपम्प निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर के पत्रांक 456 दि.10.12.19।

महोदय,

विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 10307-13 दिनांक 23.02.2019 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कॉलम संख्या 2 में वर्णित कार्यों हेतु कॉलम संख्या 6 में वर्णित राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है:-

कार्यकारी एजेन्सी-ग्राम पंचायत

पंचायत समिति- केकडी

(राशि लाखों में)

क.स.	कार्य का नाम	ग्रा.पं.	प्रशा. स्वीकृति राशि	तकनीकी स्वीकृति	
				क्र/दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	श्मशान घाट में हैण्डपम्प की स्थापना, ग्राम चितिवास	चितिवास	0.80	AEN/PS-kekri/214/21.07.19	0.80
2	भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र के पास हैण्डपम्प की स्थापना, चितिवास	चितिवास	0.80	AEN/PS-kekri/215/21.07.19	0.80
3	श्मशान घाट पर हैण्डपम्प की स्थापना, ग्राम जीतापुरा	चितिवास	0.80	AEN/PS-kekri/219/21.07.19	0.80
4	श्मशान घाट पर हैण्डपम्प की स्थापना, प्रतापपुरा	चितिवास	0.80	AEN/PS-kekri/216/21.07.19	0.80
5	श्मशान घाट पर हैण्डपम्प की स्थापना, रायनगर	चितिवास	0.80	AEN/PS-kekri/218/21.07.19	0.80
6	श्मशान घाट पर हैण्डपम्प की स्थापना, पिपल्या	चितिवास	0.80	AEN/PS-kekri/217/21.07.19	0.80
7	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोड़ी के खेल मैदान में हैण्डपम्प की स्थापना, मोड़ी	टांकावास	0.80	AEN/PS-kekri/223/21.07.19	0.80
8	गोविन्दपुरा (मोड़ी) स्कूल में हैण्डपम्प की स्थापना, मोड़ी	टांकावास	0.80	AEN/PS-kekri/225/21.07.19	0.80
9	गोविन्दपुरा (मोड़ी) सगस के स्थान पर हैण्डपम्प की स्थापना, मोड़ी	टांकावास	0.80	AEN/PS-kekri/224/21.07.19	0.80
10	राजपुरा (मोड़ी) बांगरिया बस्ती में हैण्डपम्प की स्थापना, मोड़ी	टांकावास	0.80	AEN/PS-kekri/221/21.07.19	0.80
11	श्मशान घाट परिसर में हैण्डपम्प की स्थापना, भाण्डावास	टांकावास	0.80	AEN/PS-kekri/224/21.07.19	0.80
		योग	8.80		8.80

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-19/2019-20 द्वारा पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि रु. 250.00 लाख में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के निजी खाते में उपलब्ध है।

कार्यों का सम्पादन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जावेगा।

कृ.पृ.उ.

शर्तः-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी मद/योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो सूचित किया जावे। दोहरा व्यय की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
2. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्त नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य किया जावे।
3. तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे निविदा पश्चात जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
4. नलकूप खोदने संबंधी कार्य भू-जल वैज्ञानिक की जल उपलब्धता की रिपोर्ट अनुसार किया जावे। सफल जल स्रोत की व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात् ही अग्रिम कार्य/व्यय कराया जावे। ट्यूबवेल वेधन/जल स्रोत के असफल होने पर अन्य किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्य/व्यय नहीं किया जावे।
5. हैण्डपम्प स्थापना अनुसूचित जनजाति (एसटी) बस्तियों मे किया जाना सुनिश्चित करे।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging dj soft copy es comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् यदि कोई बचत रहती है तो कार्य के उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः जनजाति विभाग को लौटाई जावे।
8. निर्माण पश्चात् संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना सुनिश्चित करने के पश्चात् ही कार्य प्रारंभ किया जावे।

भवदीय


- sd -

(शिवांगी स्वर्णकार) I.A.S

आयुक्त

क्र. एफ 5/एसीटीएडी/माडा बजट /अजमेर/19-20/8486-95 दिनांक : 19/3/20
प्रतिलिपी :-

1. विशिष्ट सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अजमेर।
4. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-19/2019-20 द्वारा पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि रु. 250.00 लाख में से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर को राशि रु. 8.80 (अक्षरे आठ लाख अस्सी हजार) हस्तांतरित करावे।
5. निदेशक मॉनेटरिंग/कम्प्यूटर शाखा/अभियांत्रिकी शाखा कार्यालय हाजा।
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति केकड़ी जिला अजमेर।
7. गार्ड फाईल।


अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)